

भारतीय मानक ब्यूरो

संदर्भ : पीएमयू 2 7 जून, 2019

विषय : अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों भारतीय मानकों के प्रोत्साहन हेतु प्रबंध परार्मशक की नियुक्ति हेतु आरएफपी शुद्धिपत्र 2

समस्त सम्बन्धितों को अधिसूचित किया जाता है कि 16 मई 2019 को जारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय मानकों के प्रोत्साहन हेतु प्रबंध परार्मशक की नियुक्ति हेतु आरएफपी शुद्धिपत्र 2 के संदर्भ में निम्नांकित परिवर्तन किए जा रहे हैं:

क्रमं सं.	आरएफपी पृष्ठ सं.	भाग एवं खंड	आरएफपी कथन	संशोधित
1	5	भाग क, खंड 3, तालिका 2	बोली जमा	बोली जमा करने
			करने की अंतिम	की अंतिम तारीख-
			तारीख -14 जून,	28 जून, 2019
			2019	
2	5	भाग क, खंड 3, तालिका 2	तकनीकी बोली	तकनीकी बोली
			खोलना -18	खोलना -1 जुलाई,
			जून, 2019	2019
3	3	भाग क, खंड 1	लागू नही	टीआईसी अर्थात्
				परीक्षण निरीक्षण
				एवं प्रमाणन

4	14	भाग ग, खंड 9.1 तालिका 6	वित्तीय वर्ष	
			2018-19 में	वित्तीय वर्ष
			भारत में 'संबद्ध	2017-18 में
			कार्य' से राजस्व	भारत में 'संबद्ध
				कार्य' से राजस्व

त्राधान विश्व विश	_	47		<u>~~ ~ ~</u>	
मैं/ केंद्र या पाज्य सरकार में कार्य करने/ परियोजना प्रबंधन का न्यूनतम 15 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव ज्यावसायिक अनुभव जीलियों का मृत्यांकन संयुक्त अविश्वात के अनुसार बोलीयात के अनुसार के अनुसार बोलीयात के अनुसार के अनुसार के अनुसार के अनुसार के अनुसार के विकाल जाएंगा। तकनीकी जाएंगा। तकनीकी जाएंगे ए के संयुक्त अंक अनुसार वेलीयात के अनुसार वेलीयात के अनुसार के अनुसार वेलीयात के अनुसार के अनुसार के अनुसार वेलीयात के अनुसार वेलीयात के पर आवंदित जी जाएंगे ए के संयुक्त अंक किकाले जाएंगे ए के संयुक्त अंक किकाले जाएंगे ए के संयुक्त अंक किकाले जाएंगे ए के संयुक्त अंक किल जीले जाएंगे ए के संयुक्त अंक किल जीले जाएंगे ए के संयुक्त अंक किल जाएंगे वेलीले जाएंगे ए के संयुक्त अंक किल जाएंगे वेलीले जाएंगे वेलीले जाएंगे ए के संयुक्त अंक किल जाएंगे वेलीले जाएंगे वेलीले जाएंगे वेलीले जाएंगे वेलीले जाएंगे वेलीकी अंक]+ 20%+[ए के	5	17	भाग ग, खंड 9.1 तालिका 7	भारत में पब्लिक	भारत में पब्लिक
राज्य सरकार में कार्य करने/ परियोजना प्रबंधन का न्यूनतम 15 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव वालियों का मूल्यांकन संयुक्त अविश्व जाएगा। तकनीकी वालियां का मूल्यांकन संयुक्त अविश्व जाएगा। तकनीकी वालियां अभ्या तिम्म् के अनुसार बोलीदाता के तिए संयुक्त अंक अनुसार वेलीदाता के तिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक शिल संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक शिल संयुक्त तकनीकी अंक]+ 20%+[ए के					
कार्य करने/ प्रियोजना प्रबंधन का न्यूनतम 15 वर्ष का न्यूनतम 15 वर्ष का न्यूनतम 15 वर्ष का न्यूनतम 15 वर्ष का न्यावसायिक अनुभव 17 भाग ग, खंड 9.4 बीलियाँ का मूल्यांकन संयुक्त एवं लागत आधारित प्रणाली के अनुसार कोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगे। निम्निखित सूत्र के अनुसार बोलीदाता के संयुक्त अंक निकाले जाएंगे। भेंक संयुक्त अंक निकाले जाएंगे प के संयुक्त अंक निकाले जाएंगे ए के संयुक्त अंक निकाले जाएंगे					
उत्पाद प्रबंधन का न्यूनतम 15 वर्ष का न्यूनतम 15 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव वि 17 भाग ग, खंड 9.4 बीलियों का मूल्यांकन संयुक्त एवं लागत आधारित प्रणाली के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगे। विम्नलिखित पर आवंटित जी जाएंगी। विम्नलिखित स्तृत के अनुसार बोलीदाता के संयुक्त अंक निकाले जाएंगे। अंक संयुक्त अंक निकाले जाएंगे पर्क संयुक्त अंक निकाले जाएंगे				राज्य सरकार में	सरकार में कार्य
का न्यूनतम 15 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव 6 17 भाग ग, खंड 9.4 बोलियों का मूल्यांकन संयुक्त 30% मान पर पवं लागत आधारित प्रणाली जाएंगी। के अनुसार किया जाएगा। तकनीकी स्त्र के अनुसार वोलियां 20% मान पर और वित्तीय वोलियां 20% मान पर ओंक निकाले जाएंगे ए के संयुक्त अंकवित्तीय वोलीदाता के लिए संयुक्त अंकवित्तीय वेलीदाता के लिए संयुक्त अंकवित्तीय वेलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त तकनीकी अंक]+ 20%+[ए के				कार्य करने/	करने/ परियोजना
वर्ष का व्यावसायिक अनुभव 17 भाग ग, खंड 9.4 बोलियों का मृत्यांकन संयुक्त एवं लागत आधारित प्रणाली के अनुसार किया जाएगी। तकनीकी स्तृत्र के अनुसार किया जाएगा। तकनीकी लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगे ए के संयुक्त अंक निकाले जाएंगे अंक निकाले जाएंगे के अनुसार वोलियां 20% मान पर और वित्तीय के अनुसार के जाएंगे ए के संयुक्त अंक निकाले जाएंगे पर के संयुक्त जां के संयुक्त के संयुक्त				उत्पाद प्रबंधन	प्रबंधन का
वि 17 भाग ग, खंड 9.4 बोलियों का मूल्यांकन संयुक्त 30% मान पर आवंटित जी आधारित प्रणाली जाएंगी। के अनुसार किया जिम्लिखित सूत्र के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगी। तिम्लिखित सूत्र के अनुसार बोलीदाता के संयुक्त अंक निकाले जाएंगी। तिम्लिखित सूत्र के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगी। तिम्लिखित सूत्र के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगी। तिम्लिखित सूत्र के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें प के संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक तिकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक तिकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक 80% = [ए के सामान्यीकृत तक्कीकी अंक]+ 20%*[ए के				का न्यूनतम 15	न्यूनतम 15 वर्ष
6 17 भाग ग, खंड 9.4 बोलियों का बोलियों का मूल्यांकन				वर्ष का	का व्यावसायिक
वि वियों का बोलियों का मूल्यांकन संयुक्त 30% मान पर एवं लागत आवंटित जी आधारित प्रणाली जाएंगी। के अनुसार किया वित्मं के अनुसार बोलियां 80% मान पर और वित्तीय के लिए संयुक्त के निकाले पर आवंटित जी जाएंगे ए के संयुक्त अंक निकाले पर आवंटित जी जाएंगे ए के संयुक्त अंक निकाले पर आवंटित जी जाएंगे ए के संयुक्त के अनुसार के अनुसार के अनुसार अंक निकाले पर आवंटित जी जाएंगे ए के संयुक्त अंक निकाले जाएंगे ए के संयुक्त अंक निकाले जाएंगे रिक्त के अनुसार अंक निकाले जाएंगे रिक्त के अनुसार के अनुसार अंक निकाले जाएंगे रिक्त के अनुसार के अनु				व्यावसायिक	अनुभव
मूल्यांकन संयुक्त एवं लागत आधारित प्रणाली जाएंगी। के अनुसार किया जाएगा। तकनीकी बोलियां 80% मान पर और वित्तीय बोलियां 20% मान पर आवंटित जी जाएंगे ए के संयुक्त अंक जिलाले जाएंगेंं के अनुसार बोलीदाता के पर आवंटित जी जाएंगें ए के संयुक्त अंक जिलाले जाएंगेंं के अनुसार बोलीदाता के एर आवंटित जी जाएंगेंं जाएंगें। निम्नलिखित सूत्र के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक 80% = ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के				अनुभव	
30% मान पर एवं लागत आधारित प्रणाली जाएंगी। के अनुसार किया जाएगा। तकनीकी सूत्र के अनुसार बोलियां 80% मान पर और वित्तीय बोलियां 20% मान भंक निकाले पर आवंटित जी जाएंगें ए के संयुक्त अंक जिला ने लिए संयुक्त अंक अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक जाएंगेंं पर के संयुक्त अंक निकाले जाएंगें पर संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के	6	17	भाग ग, खंड 9.4	बोलियों का	बोलियों का
आवंदित जी जाधगीरत प्रणाली के अनुसार किया जिम्निलिखित जाएगा। तकनीकी सूत्र के अनुसार बोलियां 80% मान बोलीदाता के पर और वित्तीय लिए संयुक्त बोलियां 20% मान अंक निकाले पर आवंदित जी जाएंगें ए के संयुक्त अंक निकाले पर आवंदित जी जाएंगें वित्तीय अंक बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें पर के संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के				मूल्यांकन	मूल्यांकन संयुक्त
जाएंगी। निम्निलखित सूत्र के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त ओक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त ओकवित्तीय ओक अनुसार किया वालियां 80% मान पर और वित्तीय बोलियां 20% मान पर आवंटित जी जाएंगें ए के संयुक्त अंकवित्तीय अंक विकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक शिक्ष संयुक्त अंक विकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%+[ए के				30% मान पर	एवं लागत
निम्निलिखित सूत्र के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंकवित्तीय अंक वोलीदाता के पर आवंदित जी जाएंगें ए के संयुक्त अंकवित्तीय अंक वोलीदाता के निम्निलिखित सूत्र के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के				आवंटित जी	आधारित प्रणाली
सूत्र के अनुसार बोलीयाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंकवित्तीय अंक चोलीयाता के लिए संयुक्त अंक्तीयाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक 80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+				जाएंगी।	के अनुसार किया
बोलीदाता के पर और वित्तीय बोलीयां 20% मान अंक निकाले पर आवंटित जी जाएंगें ए के जाएंगी। निम्नलिखित सूत्र के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें पर के संयुक्त अंक निकाले जाएंगें पर के संयुक्त अंक किशलें चारंगें पर के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%+[ए के				निम्नलिखित	जाएगा। तकनीकी
लिए संयुक्त अंक निकाले पर आवंटित जी जाएंगें ए के संयुक्त अंकवित्तीय अंक बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक 80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के				सूत्र के अनुसार	बोलियां 80% मान
अंक निकाले पर आवंदित जी जाएंगें ए के जाएंगी। संयुक्त निम्निखित सूत्र अंकवित्तीय के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक 80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के				बोलीदाता के	पर और वित्तीय
जाएंगें ए के संयुक्त जाएंगी। निम्निखित सूत्र के अनुसार के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक 80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के				लिए संयुक्त	बोलियां 20% मान
संयुक्त अंकवित्तीय अंक बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक 80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के				अंक निकाले	पर आवंटित जी
अंकवित्तीय के अनुसार बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक 80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के				जाएंगें ए के	जाएंगी।
अंक बोलीदाता के लिए संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक 80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के				संयुक्त	निम्नलिखित सूत्र
संयुक्त अंक निकाले जाएंगें ए के संयुक्त अंक 80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के				अंकवित्तीय	के अनुसार
ए के संयुक्त अंक 80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के				अंक	बोलीदाता के लिए
ए के संयुक्त अंक 80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के					संयुक्त अंक
80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के					निकाले जाएंगें
80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के					
80% = [ए के सामान्यीकृत तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के					ए के संयुक्त अंक
तकनीकी अंक]+ 20%*[ए के					80% = [ए के
20%∗[ए के					सामान्यीकृत
					तकनीकी अंक]+
सामान्यीकृत					20%∗[ए के
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					सामान्यीकृत
वित्तीय अंक]					वित्तीय अंक]

7	31	अनुलग्नक VIII (क)	लागू नही	यह अनुलग्नक हटा दिया गया है क्योंकि यह भाग आरएफपी के अन्य भाग के अन्तर्गत लिया जा चुका है।
8	18	भाग घ, खंड 10.3	अप्रत्याशित घटना इस संविदा के जारी रहने के दौरान अगर किसी भी समयजो कि ब्यूरो की सहमति से रखना चाहता हो।	इस संविदा के जारी रहने के दौरान किसी पक्ष द्वारा इस संविदा के अंतर्गत किसी भी पक्ष (ग्राहक या एजेंसी) द्वारा किसी कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी यूद्ध, विरोधपूर्वक, सार्वजनिक शत्रुता के कृत्य, महामारी, असैन्य विद्रोह, तोड़-फोड़, आगजनी, बाढ़, विस्फोट, कोरांटिन प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी या दैवीय घटना (जिसे बाद में यहां ऐसे कृत गया है) के कारण न किए जाने अथवा उसमें विलंब होने पर एक पक्ष को दूसरे

पक्ष को ऐसी घटना घटित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर ऐसी घटना घटने का नोटिस देना होगा और ऐसी घटना घटित होने के कारण किसी भी पक्ष को न तो संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा और न ही कोई पक्ष कार्य न होने अथवा उसमें विलंब के कारण दूसरे पक्ष से न्कसान का दावा करेगा। ऐसी स्थिति समाप्त होने अथवा पहले जैसी होने पर यथा शीघ्र डिलीवरी आरंभ करनी होगी, और डिलीवरी प्रारंभ कर दी है अथवा नहीं इस संबंध में ब्यूरो के महानिदेशक का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

9 20	भाग घ, खंड 10.10	लागू नहीं	समापन खंड:
			अ. यदि एजेंसी समुचित रूप से
			निर्धारित करती है कि वे लागू कानून
			या इस आरएफपी की अपेक्षानुसार
			सेवाएँ उपलब्ध नहीं करा सकती हो,
			तो वे ग्राहक को 1 (एक) माह का
			अग्रिम लिखित नोटिस देकर संविदा
			का समापन कर सकती है। यदि
			एजेंसी की ओर से संविदा का
			समापन किया जाता है, तो एजेंसी
			की निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली
			जाएगी।
			ब. ग्राहक द्वारा निम्नलिखित
			कारणों में किसी की वजह से 1 (एक)
			माह का लिखित अग्रिम नोटिस देकर
			नियुक्ति अवधि को दौरान किसी भी
			समय संविदा का समापन कर सकता
			है:
			क) यदि एजेंसी आशा के अनुरूप
			गतिविधियाँ नहीं करती हो और दिए
			गए परामर्श के अनुसार सुधारात्मक
			कदम नहीं लेती हो।
			ख) यदि एजेंसी पर्याप्त गोपनीयता
			और ग्राहकों या सूचना या डाटा
			स्रक्षा का निर्वहन नहीं करती हो।
			ग) यदि एजेंसी या इसके कार्मिक
			किसी ऐसे वाणिज्यिक, वित्तीय या
			अन्य दबाव से मुक्त नहीं हो जो
			उनके तकनीकी निर्णय को प्रभावित
			करते हो।

घ) यदि एजेंसी किसी अनैतिक रीतियों या अस्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक रीतियों में लिप्त पायी जाती है। इ) यदि एजेंसी निय्क्ति के निबंधन एवं शर्तों को उल्लंघन करती पाई जाती हो और आवेदन के साथ दिए गए वचनबद्धता/घोषणा का अन्पालन नहीं करती हो। एजेंसी को नियुक्ति की समाप्ति के लिए नोटिस इस प्रावधान के साथ दिया जाएगा कि एजेंसी के खिलाफ यथा प्रस्तावित कार्रवाई क्यों न की जाए, वह कारण स्पष्ट करें। यदि नोटिस जारी करने की तारीख के इक्कीस दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त हो या स्पष्टीकरण असंतोषजनक हो या ब्यूरो को कारण स्वीकार्य नहीं हो तो संविदा का समापन कर दिया जाएगा। ब्यूरो नियुक्त एजेंसी को कोई कारण बताए बैगर संविदा को समाप्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यदि उपर्युक्त खंड (क से इ तक) के कारण संविदा समाप्त होती है तो एजेंसी की निष्पादन प्रतिभृति जब्त कर ली जाएगी। यद्यपि, यदि समाप्ति का कोई कारण नहीं होने के मामले में निष्पादन प्रतिभूति जब्त नहीं की जाएगी।

10	20	भाग घ, खंड 10.7	ब्यूरो किसी	ब्यूरो को ब्यूरो तथा एजेंसी की
			अतिरिक्त लागत	आपसी सहमति पर इस आरएफपी
			के बैगर	में उल्लिखित कार्यक्षेत्र में परिवर्तन
				करने का अधिकार होगा और एजेंसी
				को किसी प्रकार की अतिरिक्त लागत
				के प्रदेय उपलब्ध कराने होंगे।
11	18	भाग घ, खंड 10.2	लागू नहीं	यद्यपि हितों में टकराव का
				कार्यक्षेत्र भारतीय भुगोल तक समित
				होगा, तथापि यदि कोई हितों का
				टकराव होता है तो मामले से मामले
				के आधार पर लिया जाएगा।

2. इस आरएफपी की सभी अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। ऐसे बोलीदाता जिन्होंने इस शुद्धिपत्र के जारी होने के पहले अपनी बोली जमा कर दी हैं, उनसे इस शुद्धिपत्र के अनुसार आरएफपी में विनिर्दिष्ट परिवर्तनों पर विचार करते हुए, निर्धारित तारीख और समय से पूर्व अपनी बोली पुनःजमा करने की अपेक्षा है।

अंजना तनवर महानिदेशक, बीआईएस की ओएसडी



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Ref: PMU 2 04th June, 2019

Subject: Corrigendum 2 for RFP for 'Appointment of Management Consultant for Promotion of Indian Standards in Various Sectors of the Economy'.

It is notified to all concerned that the following changes are being made w.r.t. the RFP for 'Appointment of Management Consultant for Promotion of Indian Standards in Various Sectors of the Economy' issued on 16th May, 2019.

Sl. No	Page No. of RFP	Section and Clause	RFP Statement	Amended as
1	5	Section A, Clause 3, Table 2	Last date of submission of Bids— 14 th June, 2019	Last date of submission of Bids - 28 th June, 2019
2	5	Section A, Clause 3, Table 2	Opening of Technical Bid – 18 th June, 2019	Opening of Technical Bid- 1 st July, 2019
3	3	Section A, Clause 1	NA	TICs means Testing, Inspections and Certifications.
4	14	Section C, Clause 9.1 Table 6	Revenue in FY 2018-19 from 'relevant assignments' in India	Revenue in FY 2017-18 from 'relevant assignments' in India
5	17	Section C, Clause 9.1 Table 7	Minimum 15 years of professional experience of working on/managing products with public sector	Minimum 15 years of professional experience of working on/managing projects with public sector entities/Central or State Government in India

			entities/Centra	
			1 or State	
			Government	
			in India	
6	17	Section C, Clause 9.4	Bids will	Bids will be evaluated as per
	17	Section C, Clause 7.1	a	Combined Quality Cum Cost
			weight of	Based System. The Technical
			30%.	bids will be allotted a weight
				of 80% while financial bids
			A combined	will be allotted a weight of
			score	20%.
			followi	
			ng formula:	A combined score for a bidder will
			Combined	be arrived at according to the
			score of A =	following formula:
			70% *	C
			[Normalized	Combined score of A = 80% *
			Technical	[Normalized Technical score
			score of A] +	of A] + 20% * [Normalized
			30% *	Financial score of A]
			[Normalized	
			Financial	
<u> </u>			score of A]	
7	31	Annexure VIII (a)	NA	Annexure has been removed since
				that part have been already covered in
	10	G .: D 1 10.2	Г	other part of the RFP.
8	18	Section D, clause 10.3	Force	If at any time during the continuance
			Majeure: If at any	of the Contract, the performance in
			If at any time	whole or in part by either party (Client and Agency) of any obligation
			concurrence	and Agency) of any obligation practicable under this contract shall be
			of the Bureau	prevented or delayed by the reasons of
			elect to retain.	any war, hostility, acts of the public
			ciect to retain.	enemy, epidemics, civil commotion,
				sabotage, fires, floods, explosion,
				quarantine restrictions, strikes,
				lockouts or act of God (hereinafter
				referred to as such acts) provided
				notice of happening of such event is
				given by one party to the other within
				21 days from the date of occurrence
i				
				21 days from the date of occurrence
				21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by
				21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages
				21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such
				21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in
				21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the
				21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in

		1				41 14 14 14
						to an end or ceased to exist, and the
						decision of the Director General of the
						Bureau as to whether the deliveries
						have been so resumed or not, shall be
_						final and conclusive.
9	20	Section	D,	Clause	NA	Termination Clause:
		10.10				
						A. If Agency reasonably
						determines that they can no longer
						provide the services in accordance
						with applicable law or with the
						requirement of this RFP, they may
						terminate the contract by giving 1-
						month advance written notice to
						the Client. Performance Security of
						the agency shall be forfeited if the
						contract is terminated from Agency
						side.
						B. Contract may be terminated
						any time during the appointment
						period by the Client by giving 1
						(one) months advance notice for
						any of the following reasons:
						a) If the <i>Agency</i> does not carry
						out the activities as expected and
						does not take corrective steps to
						improve as advised.
						b) If the <i>Agency</i> does not
						maintain adequate secrecy, and
						data protection pertaining to the
						clients or information or data.
						c) If the <i>Agency</i> or its personnel
						are found to be not free from any
						commercial, financial or other
						pressures which might influence their technical judgment.
						d) If the <i>Agency</i> is found
						indulging in any unethical practices
						or unhealthy competitive practices.
						e) If the <i>Agency</i> is found violating
						any of the terms and conditions of
						appointment, and does not comply
						with the undertaking/declaration
						given along with the application.
						A notice for Termination of
						Appointment will be given to
						the <i>Agency</i> , with provision of show-
						cause to explain as to why such
		I			l	cause to explain as to willy such

						proposed action may not be taken against the <i>Agency</i> . In case of non-receipt of a written explanation within a period of twenty one days from the date of issue of the notice or if the reply is found unsatisfactory or if the cause(s) extended at the time of show-cause is not acceptable to the bureau, the contract <i>will be terminated</i> . The Bureau reserves right to terminate the contract with appointed agency without assigning any reason. Performance Security of the agency shall be forfeited if the contract is terminated because of reasons mentioned above clause (a to e). However, in case of termination without assigning any reason, the performance security shall not be forfeited.
10	20	Section 10.7	D,	Clause	The Bureau shall have without any extra cost	The Bureau shall have right to reasonably vary the scope of work described in this RFP by mutual agreement between the bureau and the agency and the agency shall be bound to provide effect to such revisions in the deliverables without any extra cost.
11	18	Section 10.2	D,	Clause	NA	Though the scope of the conflict of interest will be limited up to the Indian geography, however if any conflict of interest arises then matter will be taken on case to case basis.

2. All other terms and conditions of the RFP remain unchanged. Bidders, who have already submitted their bids prior to issue of this corrigendum, are required to re-submit their bid before the Due Date & Time, considering the changes in specifications of the RFP as per this Corrigendum.

Anjana Tanwar (OSD to DG, BIS)